

झारखण्ड सरकार खान एवं भूतत्व विभाग

आवश्यक सूचना

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एतद् द्वारा संबंधित आवेदकों/आवेदक कम्पनियों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-रायका के रकबा-1691.00/संशोधित 358.67 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनिज के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर सुनवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम-12 (1) के प्रावधानों के तहत दिनांक-04.09.2014 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय कक्ष (नेपाल हाऊस) में तिथि निर्धारित की गई है।

अतएव संबंधित आवेदकों/आवेदक कम्पनियों को विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दी जाती है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सचिव, खान, झारखण्ड राँची के कार्यालय कक्ष में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका के आलोक में सीधे खनन पट्टा की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। अतः यदि आवेदक/आवेदक कम्पनियों खनन पट्टा हेतु दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु इच्छुक है, तो इस संबंध में अपनी सहमति पत्र के साथ आप स्वयं या अपने प्राधिकृत के माध्यम से ससमय सुनवाई में भाग लेना सुनिश्चित करें।

ह०/—
27.08.2014

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

Also visit : prdjharkhand.in

IPRD - 116269 (Mines & Geology) 14-15